



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—१, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, ०१ मई, २००८ ई०
बैशाख ११, १९३० शक समवत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1328 / XXXVI (4) / 2008
देहरादून, ०१ मई, २००८

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या ०६ सन्, २००८ के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2008)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों के भुगतान और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नति वर्ष में यह निम्नवत रूप में अधिनियमित हो—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम 1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की और प्रारम्भ

”(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा, सिवाय खण्ड 20 के, जो कि सन् 2007 के दिसम्बर माह के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।”

परिभाषायें 2. इस अधिनियम में—

- (क) ‘सभा’ से उत्तराखण्ड की विधान सभा अभिप्रेत है;
- (ख) “अध्यक्ष” से उत्तराखण्ड विधान सभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ग) ‘उपाध्यक्ष’ से सभा का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) सदस्यता की अवधि से, किसी सदस्य के सम्बन्ध में—
(एक) यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम—निर्देशन की अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के दिनांक से, इनमें जो भी पहले हो, प्रारम्भ होने वाली, और
(दो) उस दिनांक को, जब वह मृत्यु या पद—त्याग के कारण अन्यथा ऐसा सदस्य न रह जाय, समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;
- (ड) ‘नेता विरोधी दल’ से सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है, जिसे, यथास्थिति, अध्यक्ष द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो;
- (च) ‘सदस्य’ से सभा का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर आसीन न हो;
- (छ) ‘परिवार का सदस्य’ से, सभा के किसी सदस्य के संबंध में, चाहे वह खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या नहीं, उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहिन अभिप्रेत है, जो ऐसे सदस्य के साथ निवास करता हो और उस पर पूर्णतया आश्रित हो;
- (ज) ‘मंत्री’ से मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री अभिप्रेत है;

(ङ) 'निवास स्थान' से किसी सदस्य के संबंध में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसका, किसी सभा या, निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के अनुसार, सदस्य समान्यतः निवासी है, और यदि सदस्य ऐसे स्थान में परिवर्तन कर दे, तो उत्तराखण्ड में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसे सदस्य के अनुरोध पर सचिव द्वारा ऐसा स्थान अभिसूचित किया जाय;

परन्तु यह कि कोई ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, निर्वाचन के पश्चात् या इस खंड के अधीन जारी की गयी पूर्व अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व जारी नहीं की जायेगी,

(अ) "रेल कूपन" से, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, रेलवे बोर्ड के प्राधिकार से जारी किये गये निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन अभिप्रेत है;

(ट) "आनुषंगिक व्यय" से—

(एक) रेल द्वारा की गयी यात्रा की दशा में, एक व्यक्ति के लिए प्रथम श्रेणी में ऐसी यात्रा के रेल किराये के बराबर धनराशि अभिप्रेत है, एवं

(दो) किसी अन्य दशा में, विहित दर से इस रूप में देय धनराशि अभिप्रेत है;

(ठ) 'सचिव / प्रमुख सचिव' से, सभा के सदस्यों के संबंध में, सभा का सचिव / प्रमुख सचिव अभिप्रेत है;

(ड) 'वर्ष' से पहली जून को प्रारम्भ होने वाली और अनुवर्ती इकतीस मई को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

अध्याय—दो

वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

3.(1): सभा के, नेता विरोधी दल से भिन्न, प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के लिए तीन हजार रूपये प्रतिमास वेतन पाने का हकदार होमा।

वेतन

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वेतन का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्—
(क) वेतन में अनुपस्थिति या अन्य कारण के आधार पर ऐसी कटौतियां की जा सकेंगी, जैसी विहित की जायं,

(ख) किसी सदस्य को उस अवधि के लिए, जिसमें वह किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी विनिश्चय के फलस्वरूप, यथास्थिति, सभा में बैठने के लिए अक्षम हो जाय, कोई वेतन देय नहीं होगा,

(ग) सभा के किसी सदस्य को सभा के गठन के दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिये कोई वेतन देय न होगा।

4. सभा का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन निर्वाचन क्षेत्र हो या न हो, अपनी सदस्यता की अवधि में पन्द्रह हजार रूपये प्रतिमास का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा।

अध्याय—तीन
यात्रा सुविधा

रेल कूपन

5."(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या नहीं प्रतिवर्ष एक लाख अस्सी हजार रुपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि डीजल व्यय हेतु तथा शेष धनराशि बीस हजार रुपये के रेलवे कूपन विहित रीति से दिए जायेंगे, जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी रेल से, किसी श्रेणी में, किसी समय, उत्तराखण्ड के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायं, उपयोग में लाए जा सकते हैं।"

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को प्रतिवर्ष पचास हजार रुपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि में से तीस हजार रुपये डीजल/पेट्रल व्यय हेतु तथा शेष बीस हजार रुपये के रेलवे कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे भूतपूर्व सदस्य द्वारा अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण— इस धारा में निर्दिष्ट रेल यात्रा के लिये रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय—समय पर निर्धारित किया जायेगा;

परन्तु किसी सदस्य को इस धारा के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से, उसके विकल्प पर, उतने मूल्य के रेल कूपन के बजाय, जितने वह चाहे समान मूल्य के कूपन, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायं, उत्तराखण्ड के भीतर या बाहर किसी समय वायुयान द्वारा यात्रा के लिये उसे दिये जायेंगे;

"परन्तु यह और कि जब कभी भी प्रथम श्रेणी के रेल किराये में वृद्धि होगी, राज्य सरकार, अभिसूचित आदेश द्वारा, रेल कूपन के मूल्य में अनुपातिक वृद्धि कर सकती है।"

सहवर्ती के साथ यात्रा 6. किसी सदस्य द्वारा अपने साथ रेल यात्रा में, निम्नलिखित दशाओं में, एक सहवर्ती ले जाने के लिए भी धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्—

(क) "सभा के प्रत्येक सत्र में अधिक से अधिक दो बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से देहरादून तक आने और देहरादून से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिए;

(ख) किसी महिला सदस्य की स्थिति में, ऐसी यात्रा के लिये, जो उसके द्वारा ऐसा सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए और ऐसी उपस्थिति के पश्चात अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए;

पंत्री अध्यक्ष आदि द्वारा यात्रा 7. धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का उपयोग प्रत्येक सदस्य द्वारा, जो धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन है, अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिये, शासकीय कर्तव्यों के पालन से भिन्न प्रयोजनों के लिये उत्तराखण्ड के भीतर या बाहर किसी भी समय किसी रेल द्वारा किसी श्रेणी में यात्रा के लिये विहित रीति से किया जा सकता है।

8. इस अध्याय के अधीन जारी किया गया रेल कूपन ऐसी अवधि के लिए रेल कूपन की विधिमान्य होगा, और प्रत्येक अप्रयुक्त कूपन सचिव/प्रमुख सचिव को, ऐसी रीति से विधि मान्यता लौटा दिया जायेगा, जो विहित की जाय।

9.(1) प्रत्येक सदस्य उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस जिसके अन्तर्गत बस द्वारा यात्रा वातानुकूलित या डीलक्स बस भी है, के द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर भुगतान किये बिना, किसी भी समय यात्रा करने के लिए विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमणीय बस पास का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है;

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो अध्याय ग्यारह के अधीन पेंशन का हकदार है, उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना, किसी भी समय यात्रा करने के लिए विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमणीय बस पास का भी हकदार होगा;

परन्तु यह कि यदि उक्त में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वातानुकूलित या डीलक्स बस में यात्रा करता है, तो उसे किराये की अधिक धनराशि का वहन स्वयं करना होगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट पास का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है।

अध्याय—चार आनुषंगिक व्यय और दैनिक भत्ता

10. प्रत्येक सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में, अपने कर्तव्यों या कृत्यों के सम्बन्ध में आनुषंगिक व्यय अपनी उपस्थिति के लिए, ऐसी दरों पर और ऐसी शातीं तथा निर्बन्धनों के अधीन रहने हुए, जैसी विहित की जाय, निम्नलिखित दशाओं में आनुषंगिक व्यय देय होगा, अर्थात् –

(क) यथास्थिति, सभा के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति के किसी उपवेशन में उपस्थिति होने के लिए किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार, केवल उपवेशन के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्रा के लिए;

परन्तु यह कि यदि कोई सदस्य एक ही कलेण्डर मास में दो या अधिक समितियों के उपवेशन में भाग लेता है तो इस खण्ड के अधीन आनुषंगिक व्यय, किसी भी दशा में, ऐसे मास में चार से अधिक बार देय नहीं होगा

(ख) अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये, बैठक के स्थान पर आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिये की गई यात्रा के लिए;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के संबंध में, जो समिति की बैठक से भिन्न हो, किसी समिति के सभापति के रूप में, उसके द्वारा किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार देहरादून आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिये की गयी यात्राओं के लिये;

(घ) संवैधानिक अध्ययन या किसी सेमिनार या पाठ्यक्रम के संबंध में लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा या राज्य सभा के सभापति या किसी अन्य राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उसके प्राधिकार से या भारतीय संसदीय अध्ययन संस्थान के द्वारा बुलाई गयी या किसी अन्य प्रकार से आयोजित किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये की गयी यात्राओं के लिए;

परन्तु ऐसा सदस्य धारा 2 के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित अध्यक्ष द्वारा ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये नाम-निर्दिष्ट किया गया हो;

परन्तु यह और कि ऐसी किसी बैठक में भाग लेने के लिये पाँच से अधिक सदस्य नाम निर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे और कोई ऐसा नाम-निर्देशन एक वर्ष में दो बार से अधिक के लिये नहीं किया जायेगा।

दैनिक भत्ता 11.(1) प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, पाँच सौ रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता का हकदार होगा, जिसकी संगणना निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी, अर्थात्—

(एक) उक्त भत्ता, सभा के सत्र के दौरान या उसकी किसी समिति के किन्ही उपवेशनों में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिए देय होगा;

(दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिये भी देय होगा यदि सदस्य, उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा के या समिति के किसी लगातार उपवेशन के दौरान स्थगन के दिनों के लिये और ऐसे लगातार उपवेशनों के बीच पड़ने वाली छुट्टी के दिनों के लिये भी देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिये भी देय होगा, जो सभा के या उसकी समिति के किसी उपवेशन के अन्तिम दिन और उसी या किसी अन्य समिति के या सभा के उपवेशन के प्रथम दिन के बीच पड़े, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(पाँच) जहाँ खण्ड (तीन) या खण्ड (चार) के अधीन आने वाली किसी स्थिति में, कोई सदस्य उपवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र को छला जाए, वहाँ वह धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता का, या धारा 10 के अनुसार आनुषंगिक व्यय का इनमें जो भी कम हो, हकदार होगा।

(छ) उक्त भत्ता किसी सदस्य को किसी समिति के समाप्ति के रूप में, समिति की बैठक से भिन्न ऐसी समिति के कार्य के संबंध में भी देहरादून आने पर यदि इस धारा के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसे कोई ऐसा भत्ता अन्यथा देय नहीं है देय होगा,
प्रत्यक्ष एक कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार आने पर और एक बार के लिए अधिक से अधिक दो दिन के लिए देय होगा।

(सात) उक्त भत्ता धारा 10 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी बैठक, सेमिनार या अध्ययन पाठ्याक्रम में उपस्थिति के लिये भी देय होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य उन दिनों के लिये भी जिनमें वह जनसेवा के कार्यों के लिये दौरा करें और जिसके लिये उपधारा (1) के अधीन दैनिक भत्ता या धारा 10 के अधीन आनुषंगिक व्यय अनुमन्य न हो या न हो सकता हो, दो सौ पचास रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन सदस्य और नेता विरोधी दल को उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, प्रत्येक दिन के लिये दो सौ पचास रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा, सिवाय उन दिनों के, जिनके लिये वह उपधारा (1) के अधीन दैनिक भत्ता का दावा करें।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी उपवेशन को लगातार समझा जायेगा, यदि किसी बैठक के अन्तिम दिन और दूसरी बैठक के प्रथम दिन के बीच दिनों की संख्या चार से अधिक न हो।

अध्याय—पाँच सचिवीय भत्ता

12. सभा का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पर सचिवीय भत्ता आसीन हो या न हो, जिसमें नेता दल विरोधी भी सम्मिलित है, अपनी सदस्यता की अवधि में या, यथास्थिति, अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, छः हजार रुपये प्रतिमास की दर से सचिवीय भत्ता पाने का हकदार होगा।

अध्याय—छः सदस्यों के लिये आवास व्यवस्था

13.(1) प्रत्येक सदस्य (जिसके अन्तर्गत संसदीय सचिव भी है) अपनी सदस्यता की अवधि और ऐसी अग्रेतर अवधि, जैसी विहित की जाय, के लिए देहरादून में ऐसे आवास का किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसकी उसके लिये व्यवस्था की जाय।

आवास की व्यवस्था

(2) प्रत्येक सदस्य, जिसके उपयोग के लिए उपधारा (1) के अधीन देहरादून में आवास की व्यवस्था की गयी हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे आवास को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई

अधिकारी इस आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का भी प्रयोग कर सकेगा, जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए सदस्य के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो सदस्य न रह गया हो।

(3) जहाँ किसी सदस्य के लिए किसी आवास की व्यवस्था न की गयी हो, वहाँ वह तीन सौ रुपये प्रति मास की दर से आवास भत्ता पाने का हकदार होगा;

परन्तु सरकारी आवास सदस्य को आवंटित होने की दशा में यह धनराशि देय नहीं होगी।

(4) जहाँ किसी सदस्य के लिए ऐसे आवास की व्यवस्था की जाय, जिनका मानक किराया तीन सौ रुपये प्रतिमास से कम हो, वहाँ किराये के अन्तर का भुगतान ऐसे सदस्य को प्रतिकर आवास भत्ता के रूप में किया जायेगा और जहाँ इस प्रकार व्यवस्थित आवास का मानक किराया उक्त धनराशि से अधिक हो, वहाँ किराये के अन्तर को सदस्य से वसूल किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण— किसी सदस्य के लिए आवास की व्यवस्था उस दिनांक को की गयी समझी जायेगी, जब उसके पक्ष में उसे प्रदिष्ट करने की सूचना उसे दे दी जाय, चाहे ऐसा सदस्य प्रदेशन को स्वीकार करें या न करें या आवास पर अध्यासन करें या न करें।

आवास व्यवस्था 14.(1) धारा 13 के अधीन आवास के प्रदेशन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार नियम के संबंध में राज्य सरकार की बना सकती है, जिनमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जायेगी,

अर्थात्—

- नियम बनाने की (क) आवास का, जिसके लिये कोई सदस्य हकदार होगा, मानक निर्धारित करना,
शक्ति (ख) ऐसे प्रत्येक आवास को सुसज्जित करने के मानक निर्धारित करना,
(ग) किसी आवास का मानक किराया नियत करना, एवं
(घ) राज्य सरकार द्वारा समस्त व्यय का जिसके अन्तर्गत विद्युत और जल का व्यय भी है, भुगतान किये जाने के लिये और ऐसे आवास में जल और विद्युत के सम्बरण को विनियमित करने के लिये उपबन्ध बनाना।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियम उन सदस्यों के संबंध में भी बनाये जा सकते हैं, जो धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हों।

अध्याय—सात

सदस्यों के लिए ऋण की व्यवस्था

15. “राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो सदस्य है, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, या जो सभा के सदस्य के रूप में पद पर आसीन रहा हो, निवास स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिये या वाहन क्रय करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अनुसार, जैसी विहित की जाय, पाँच लाख रुपये से अनधिक प्रतिसंदेय अग्रिम ऋण स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है।”

अध्याय—आठ टेलीफोन की सुविधा

16. "प्रत्येक सदस्य देहरादून में और अपने सामान्य निवास स्थान पर या अपने निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन (मोबाइल फोन तथा बेसिक फोन) सम्बन्धी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा, जैसी विहित की जायें।"

सदस्यों को
टेलीफोन
सुविधा

अध्याय—नौ चिकित्सा सुविधायें

17. सभा का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, ऐसे सिन्द्वान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायें, निम्नलिखित चिकित्सा सुविधा (सुविधाओं) का हकदार होगा, अर्थात्—

चिकित्सा
सुविधायें

(क) राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली वाहय चिकित्सा और सुविधाओं के बदले में जिसके अन्तर्गत औषधियां भी हैं, छ: हजार रुपये, प्रतिमास की धनराशि का दिया जाना,
(ख) ऐसे अस्पताल में अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये, जिन्हें अस्पताल में चिकित्सा के लिये भर्ती करना अपेक्षित हो, निःशुल्क स्थान और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाना।

अध्याय—दस नेता विरोधी दल को सुविधायें

18. नेता विरोधी दल ऐसे वेतन, आवास, सवारी तथा ऐसी अन्य सुविधायें पाने का हकदार होगा, जो मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य को उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3,4,5,6,7 और 8 के उपबन्धों के अधीन अनुमन्य है और उक्त धाराओं के और उनसे सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, नेता विरोधी दल के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य के संबंध में लागू होते हैं।

नेता विरोधी दल
को वेतन, आवास,
सवारी तथा अन्य
सुविधायें

अध्याय—ग्यारह भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

19. इस अध्याय के प्रयोजनार्थ—

क्रतिपय पदों का
अर्थ

(क) पद "सभा" के अन्तर्गत यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली भी है—
(एक) जिसने इस रूप में, इंडियन इंडिपेन्डेंस एक्ट, 1947 के, प्रारम्भ होने के पूर्व

या पश्चात्, गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् कार्य किया, या (दो) जिसने "भारत का संविधान" के अधीन राज्य के लिये अस्थायी विधान मण्डल के रूप में कार्य किया।

(ख) "एक वर्ष", से बाहर कलेण्डर मास की अवधि अभिप्रेत है,

(ग) जिस अवधि में कोई व्यक्ति सभा में अपनी सदस्यता के आधार पर धारा 2 के खण्ड

(च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन रहा हो, उस अवधि की भी गणना, ऐसी सदस्यता की अवधि अवधारित करने के लिये, की जायेगी।

**भूतपूर्व सदस्यों
को पेंशन**

20.(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिये कार्य किया हो, अपने जीवनपर्यन्त छः हजार रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन का हकदार होगा;

परन्तु जहाँ किसी व्यक्ति ने, उपर्युक्तानुसार, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये कार्य किया हो, वहाँ वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पाँच सौ रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा;

परन्तु यह और कि विधान सभा भंग होने की स्थिति में, विधान सभा के भंग होने की तिथि से नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि की गणना ऐसे सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिये की जायेगी, जो भंग विधान सभा का अध्यक्ष रहा हो और उक्त अवधि के दौरान इस रूप में अपने पद पर आसीन रहा हो।

स्पष्टीकरण— जहाँ किसी व्यक्ति ने सभा के सदस्य के रूप में छः माह या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिये कार्य किया हो, वहाँ इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिये सदस्य के रूप में कार्य किया है।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का भी हकदार हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति, ऐसी पेंशन के साथ-साथ, उपधारा (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार होगा।

**क्रतिपय
व्यक्तियों को
पेंशन की
सुविधाएं**

21. जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पेंशन या अतिरिक्त पेंशन का इस आधार पर हकदार हो जाता है कि उसने पहली जनवरी, 1946 के पूर्व गठित या विद्यमान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहाँ ऐसी पेंशन या अतिरिक्त पेंशन, ऐसे व्यक्ति को दिनांक पहली जनवरी, 1977 से देय समझी जायेगी।

**पेंशन कब देय
नहीं होगी**

22. धारा 20 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, निम्नलिखित स्थिति में, इस अध्याय के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार न होगा, अर्थात्—

(क) जहाँ कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन सवेतन नियोजित हो, या ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्यथा हकदार हो जाय और ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिमास, धारा 20 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि के बराबर या इससे अधिक, हो और वह इस प्रकार नियोजित या ऐसा पारिश्रमिक पाने का हकदार बना रहे;

- (ख) जहां कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाय या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाय और ऐसे पद पर आसीन रहे;
- (ग) जहां कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा सदस्य बना रहे;
- (घ) जहां कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न रह जाय।

23. जहां धारा 22 के खण्ड (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में, कोई व्यक्ति धारा 20 के अधीन -अनुमन्य पेंशन की धनराशि प्रतिमास से कम धनराशि की कोई पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक का हकदार हो, वहां धारा 20 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन उतनी धनराशि से अधिक नहीं होगी, जितनी से-ऐसी पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक धारा 20 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि प्रतिमास से कम पड़ती हो।

कतिपय मामलों
में पेंशन की
धनराशि

अध्याय—बारह प्रकीर्ण

24. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का हकदार है; ऐसा सम्पूर्ण वेतन, भत्ता या सुविधा या उसके किसी भाग को, अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्याग सकता है;

वेतन आदि का
त्याग

परन्तु ऐसी किसी त्यजन को वह किसी भी समय, अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर भविष्यतक्षी प्रभाव से रद्द कर सकता है।

25. (1) जब कभी किसी सदस्य पर किसी सरकारी देय (जैसे आवास किराया या प्रभार, टेलीफोन देय-इत्यादि) के बकाया होने की सूचना दी जाय और उसके समर्थन में सम्बद्ध प्राधिकारी से समुचित मांग या बिल प्राप्त हो, और ऐसा सदस्य, ऐसे देय का भुगतान न करें, तब ऐसे देय के बराबर धनराशि, या जहां सरकार द्वारा किसी सदस्य को प्रति सन्देह अग्रिम अन्य देयों की व्यवस्था की गयी हो, वहां ऐसे सदस्य द्वारा देय ऐसे अग्रिम या उसकी किसी किस्त के बराबर धनराशि व्याज सहित, यदि कोई हो, सचिव द्वारा ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक या प्रतिकर आवास या किसी अन्य भत्ता बिल से काट ली जायेगी;

(2) ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जो सदस्य न रह जाय या जो उस समय सदस्य न हो, जब उसे सरकार द्वारा कोई प्रतिसंदेय अग्रिम दिया गया हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट धनराशि, ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन देय पेंशन की धनराशि या किसी अन्य धनराशि से, काट ली जायेगी;

सदस्यों के वेतन
बिल से
सरकारी एवं
अन्य देयों की
वसूली

परन्तु यह कि यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई सरकारी धन या सामान हो, चाहे वह उसके सदस्य रहने की अवधि का हो या उसके सदस्य न रह जाने की अवधि का हो, तो उसकी कटौती ऐसे व्यक्ति के पेंशन से की जायेगी।

(3) साधारणतया, किसी सदस्य पर बकाया किन्हीं गैर सरकारी देयों की वसूली, उसके वेतन या भत्तों से नहीं की जायेगी किन्तु जहां ऐसी देय धनराशि उसके संसदीय कर्तव्यों के दौरान उसको दी गयी किन्हीं सेवाओं के कारण हो, जैसे जब वह किसी समिति के साथ दौरे पर हो, और ऐसी सेवाओं के लिए व्यवस्था राज्य विधान सभा के अधिकारियों के अनुरोध पर अद्व सरकारी संस्थाओं, या निजी पार्टियों या उनके अनुरोध पर की गयी हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देयों का भुगतान नहीं करता है, वहां उसकी वसूली ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक भत्ता बिलों से की जा सकती है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

26 (1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई, विशेष रूप से धारा 28 द्वारा निरसित अधिनियमिति के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निरसित दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि में जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे; परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई विधमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

नियम बनाने की शक्ति

निरसन स्वयं
व्यावृत्ति

27. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

28. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम, यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद फुलोरिया,
संयुक्त सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 11 अप्रैल, 2018 ई०

चैत्र 21, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 183 / XXXVI(3) / 2018 / 39(1) / 2018

देहरादून, 11 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2018’ पर दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 15 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 2008, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

- | | |
|-------------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम एवं
प्रारम्भ | <p>1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।
 (2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।</p> <p>उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 2008</p> |
| धारा 3 का
संशोधन | <p>2. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "तीस हजार" रख दिये जायेंगे।</p> |
| धारा 4 का
संशोधन | <p>3. मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "साठ हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख पचास हजार" रख दिये जायेंगे।</p> |
| धारा 4 के का
संशोधन | <p>4. मूल अधिनियम की धारा 4 के में शब्द "तीन हजार" के स्थान पर शब्द "बारह हजार" रख दिये जायेंगे।</p> |
| धारा 5 का
संशोधन | <p>5. मूल अधिनियम की धारा 5 में -
 (क) उपधारा (1) में शब्द "दो लाख सत्तर हजार" के स्थान पर शब्द "तीन लाख पच्चीस हजार" रख दिये जायेंगे।
 (ख) उपधारा (2) में शब्द "एक लाख" के स्थान पर शब्द "दो लाख बहतर हजार" रख दिये जायेंगे।</p> |
| धारा 11 का
संशोधन | <p>6. मूल अधिनियम की धारा 11 में -
 (क) उपधारा (1) में शब्द "दो हजार" के स्थान पर शब्द "तीन हजार" रख दिये जायेंगे।</p> |

धारा 12 का
संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "दो हजार" के स्थान पर शब्द "बारह हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का
प्रतिस्थापन

8. (1) मूल अधिनियम की धारा 15 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी—
राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो सदस्य है, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, या जो सभा के सदस्य के रूप में पद पर आसीन रहा हो, निवास स्थान का निर्माण यां क्रय करने के लिए रूपया पचास लाख से अनधिक एवं वाहन क्रय करने के लिए रूपया पन्द्रह लाख से अनधिक, ऐसे निवन्धनों और शर्तों के अनुसार, जैसी विहित की जाए, प्रतिसंदेय अग्रिम ऋण स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

परन्तु, उपबंध यह है कि ब्याज की दरें भारतीय स्टेट बैंक की दरों के अनुरूप होगी;

परन्तु, यह और कि यदि किसी सदस्य द्वारा दिये गये अग्रिम को ब्याज सहित वापस कर दिया गया हो तो ऐसे किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर पुनः अग्रिम की सुविधा अनुमन्य की जा सकती है।

धारा 17 का
प्रतिस्थापन

9. मूल अधिनियम की धारा 17 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् "सभा का प्रत्येक सदस्य या पूर्व सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड च में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, की स्वयं तथा परिवार के सदस्यों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की दरें केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा (सी०जी०एच०एस०) की दरों पर अनुमन्य होगी एवं विदेश में चिकित्सा कराये जाने की सुविधा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर अनुमन्य होगी।"

धारा 20 का
संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में—
(क) उपधारा (1) में शब्द "बीस हजार" के स्थान पर शब्द "चालीस हजार" रख दिये जायेंगे।
(ख) विद्यमान परन्तुक में जहाँ शब्द "एक हजार" आया है वहाँ शब्द "दो हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 23 के
स्पष्टीकरण -2
के पश्चात् के
परन्तुक का
संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 23 के स्पष्टीकरण -2 के पश्चात् के परन्तुक में शब्द रूपया "दस हजार" के स्थान पर शब्द रूपया "बीस हजार" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952
(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त)

धारा 2 का
संशोधन

12. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 2 की उपधारा (1) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मासिक वेतन में शब्द "चौक्वन हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख दस हजार" रख दिये जायेंगे।

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009

धारा 3 का
संशोधन

13. उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में—
(क) उपधारा (1) में शब्द "पैतालीस हजार" के स्थान पर शब्द "नब्बे हजार" रख दिये जायेंगे।
(ख) उपधारा (2) में शब्द "बयालीस हजार" के स्थान पर शब्द "चौरासी हजार" रख दिये जायेंगे।
(ग) उपधारा (3) में शब्द "छत्तीस हजार" के स्थान पर शब्द "बहत्तर हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का
संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में शब्द "तीस हजार" के स्थान पर शब्द "चालीस हजार" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No. 183/XXXVI(3)/2018/39(1)/2018

Dated Dehradun, April 11, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttrakhand State Legislative Assembly Miscellaneous (Amendment) Bill, 2018' (Adhiniyam Sankhya 15 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 10 April, 2018.